ताप वद्युित संयंत्रों के लयि फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन (FGD) सस्टिम पर छूट

स्रोत: TH

पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय ने भारत के **78% थर्मल पावर प्लांटों** को **फ्लू गैस डीसल्फ़राइज़ेशन (FGD)** सस्टिम लगाने से **छूट प्रदान की है**, जसिसे **वायु प्रदूषण** और **सार्वजनकि स्वास्थ्य** से जुड़ी चतिाएँ बढ़ गई हैं।

- **FGD की भूमकिा:** *[illegible] (FGD)* सस्टिम का उपयोग **कोयला आधारति ताप वद्युित संयंत्रों** से नकिलने वाले **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** उत्सर्जन को कम करने के लयि कयिा जाता है। FGD सस्टिम में आमतौर पर **चूना पत्थर ($CaCO_3$)**, **चूना (CaO)** या **अमोनयिा (NH_3)** का प्रयोग फ्लू गैस में मौजूद SO_2 को नष्क्रयि करने के लयि कयिा जाता है।
- **नीतगित बदलाव: वर्ष 2015** में यह अधसिूचति कयिा गया था कि सभी ताप वद्युित संयंत्रों को SO_2 उत्सर्जन कम करने के लयि **वर्ष 2017 तक FGD प्रणालयिाँ** स्थापति करनी होंगी। हालाँकि, केवल **8% संयंत्रों** ने ही इसका पालन कयिा है।
  - नई अधसिूचना के अनुसार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 कलिोमीटर** के भीतर स्थति **केवल 11% इकाइयों (श्रेणी A)** को FGD स्थापति करना अनविार्य है।
    - वशिषज्ञ समति की समीक्षा के आधार पर, गंभीर रूप से **प्रदूषति क्षेत्रों या गैर-प्राप्त शिहरों** के नकिट 11**% (श्रेणी B) में FGD** स्थापति करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **छूट के पीछे मुख्य तर्क:** प्रधान वैज्ञानकि सलाहकार के नेतृत्व में एक पैनल ने कहा कि **भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा** कम है और वातावरण में मौजूद SO_2 का स्तर पहले से ही **स्वीकृत सीमा (10–20 µg/m³ बनाम 80 µg/m³)** से नीचे है।
- **इसमें यह भी पाया गया कि FGD इकाइयों वाले या उनके बनिा वाले क्षेत्रों के बीच वायु गुणवत्ता में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।**
- उच्च स्थापना लागत, सीमति आपूर्तकिर्ता, और कोवडि-19 के कारण हुई देरी को भी संयंत्रों को छूट देने के कारणों में शामलि कयिा गया।

- वशिषज्ञों की आलोचना: SO_2 **सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5)** में योगदान देता है, जो 200 कमिी तक स्वास्थ्य को प्रभावति कर सकता है। FGD की कमी से श्वसन और हृदय संबंधी बीमारयिों का खतरा बढ़ सकता है।
  - ऊँची चमिनयिाँ केवल उत्सर्जन को बढ़ाती हैं, कम नहीं करतीं। **भारत के PM2.5 स्तरों में कोयले** के दहन का योगदान लगभग **15%** है।
  - यह नर्णिय जनता से वमिर्श के बनिा लयिा गया, स्थान आधारति मानकों को स्थापति करता है तथा इससे वायु गुणवत्ता व सार्वजनकि स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने का खतरा है।

और पढ़ें: कोयला वद्युित संयंत्रों हेतु FGD नयिमों की समीक्षा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fgd-exemption-for-thermal-plants